5. मूल्या पुत्र बद्री

6. रामसहाय पुत्र श्रवण

समस्त जाति मीणा निवासी खानवास तहसील लवाण जिला दौसा।

(अप्राथींगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने बाबत

उपस्थितिः– 1. प्रार्थीगण संख्या–13 स्वंय उपस्थित।

2. पैरोकार सरकार उपस्थित एवं अप्रार्थीण एवं अधिवक्ता अनुपस्थित।

:: निर्णय :: दिनांक : 09.06.2023

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि प्रार्थीगण एवं नंबर 2 लगायत 6 एक ही गांव के रहने वाले है।
2. यह है कि ग्राम खानवास तहसील लवाण में आराजी खसरा नम्बर 635, 729, 735, 738, 739, 739/877, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749 कुल किता–13 कुल रकबा 10.26 है0 स्थित है। उक्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काबिज काश्तकार है। तथा रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। उपरोक्त भूमि में से अप्रार्थी संख्या– 2 लगायत 6 का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। परन्तु वे अनावश्यक रूप से सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते रहते है।
3. यह है कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान भी दिनांक 30.06.2021 करे कुछ आराजीयात का करा लिया था। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या–2 लगायत 6 अनावश्यक रूप से सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि की वास्तविक पैमाईश कराक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:16 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

पुलिस मदद से पत्थरगढी के निशानात कायम कर पत्थरगढी करवाना चाहते है।

4. यह है कि अप्रार्थी संख्या–1 तहसीलदार लवाण को आदेश व निर्देष फरमाया जावे कि वे राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस सहायता से ग्राम खानवास में स्थित भूमि जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के चरण संख्या नम्बर 2 अंकित है की वास्तविक पैमाईश कर उक्त कृषि भूमि के चारो तरफ पत्थरगढी के निशानात कायम करे।

5. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 राज्य सरकार का वैद्य प्रतिनिधि है व लेण्ड होल्डर है इसके विरूद्ध कोई भी वाद व प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व 80 सीपीसी को नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का है क्योंकि कुछ समय पश्चात ही फसल का समय आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते है इसलिए तत्काल पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है इसलिए मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस दिया जाना संभव नही है। इसलिए न्यायालय की अनुमति प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है इस हेतु 80(2) सीपीसी का प्रार्थना रफाए हुज्जत अलग पेश है। प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी नम्बर 1 तहसीलदार लवाण को आदेश व निर्देष फरमाया जावे कि वे राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस सहायता से ग्राम खानवास में स्थित 635, 729, 735, 738, 739/877, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749 कुल किता 13 कुल रकबा 10.26 है0 भूमि की वास्तविक पैमाईश कर उक्त कृषि भूमि के चारो तरफ पत्थर गाढकर पत्थरगढी के निशानात कायम करे। ताकि भविष्य में सीमा संबंधी कोई विवाद न रहे । अन्य अनुतोष जो न्यायहित में हो प्रार्थी के पक्ष में दिलवाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 न्यायालय में [illegible] दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता को प्रकरण में जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:16 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.:– 04/2022
दायर दिनांक 05.05.2022
निर्णय दिनांक :– 09.06.2023

हेतु बार–बार समय दिये जाने के उपरान्त भी अपना जवाब प्रस्तुत नही किया गया जिस कारण से अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 का जवाब बन्द किया जाकर एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तहसीलदार लवाण की जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लवाण ने अपने पत्रांकः भू.अ./22/2055 दिनांक 13.10.2022 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या–3 में उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान 14.04.2022 को कर दिया गया है। बिन्दु संख्या–4 न्यायालय द्वारा डिक्री जारी होने के बाद राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस सहायता से पत्थरगढी कर दी जावेगी। उपरोक्त खसरा नम्बरान के पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

हमने तहसीलदार लवाण से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 13.10.2022 व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त ग्राम खानवास तहसील लवाण के आराजी खसरा नम्बर 635, 729, 735, 738, 739/877, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749 कुल किता 13 कुल रकबा 10.26 हैक्टयर भूमि कमलेश पुत्र रामकुंवार, कल्ली पुत्री रामकुंवार, कैलाश पुत्र हरनारायण , जगदीश पुत्र मोती, जगन्नाथ पुत्र चुन्नीनलाल, जयराम पुत्र छीतर, प्रभू पुत्र हरनारायण, प्रहलाद पुत्र ग्यारसा, भगवानसहाय पुत्र मोती, भागीरत पुत्र छीतर, रमेशचन्द पुत्र रामकुंवार, रामजीलाल पुत्र मोती, रामनिवास पुत्र रामकुंवार, शांति पत्नि रामकुंवार, हरलाल पुत्र छीतर, हरीकिशन पुत्र मोती के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का खानवास के अनुसार दिनांक 14.04.2022 को किया गया, जहाँ मौके पर पटवारी हल्का खानवास, भू–अभिलेख निरीक्षक रजवास एवं खातेदार उपस्थित रहे। उक्त सीमाज्ञान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा व अडचन दर्शित नही होने कारण, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:16 IST
Reason: Self Attested

अतः

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण को आदेश दिये

उप जिला कलक्टर
लवाण

दायर दिनांक 05.05.2022
निर्णय दिनांक :— 09.06.2023

जाते है कि ग्राम खानवास तहसील लवाण के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076—2079 खाता संख्या नया 81 एवं खाता संख्या पुराना 72 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 635 रकबा 0.0400 है0, खसरा नम्बर 729 रकबा 2.2000 है0, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 738 रकबा 0.1700 है0 खसरा नम्बर 739/877 रकबा 2.1500 है0, खसरा नम्बर 741 रकबा 4.8100 है0, खसरा नम्बर 743 रकबा 0.3000 है0, खसरा नम्बर 744 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 745 रकबा 0.0700 है0, खसरा नम्बर 746 रकबा 0.0600 है0, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.1300 है0, खसरा नम्बर 749 रकबा 0.0900 है0 कुल किता—13 कुल रकबा 10.2600 हैक्टयर पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त खसरा नम्बरो की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियो/भू—अभिलेख निरीक्षको की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थीगणो से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 09.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उप जिला कलक्टर
लवाण

मिथलेश मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:28:16 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट लवाण (दौसा)
सत्यमेव जयते